(Authoritative English text of the Government Notification No. UD-A(1) 4/2014, dated 28.10.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

No. UD-A(1)-2/2014 Dated Shimla-2, the 28.10.2020

NOTIFICATION

WHEREAS, a proposal for declaration of Nagar Panchayat Nirmand, District Kullu as notified vide this department Notification No. UD-A(1)-2/2014, dated 25.08.2020 was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 27.08.2020 for inviting objections/suggestions from the affected persons through the Deputy Commissioner, Kullu within a period of six weeks;

AND WHEREAS, the objections/suggestions received from the inhabitants of the local areas proposed to be included in Nagar Panchayat Nirmand, Tehsil Nirmand, District Kullu within the prescribed time limit were considered by the State Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section (3) and sub-section (6) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute Nagar Panchayat Nirmand, District Kullu, Himachal Pradesh as per the area specified in THE SCHEDULE given below and it shall come into existence from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

" THE SCHEDULE"

Sr.No	Name of Patwar Circle	Name of muhal	Name of Gram Panchayat	Name of ward	Khasra No.	Total Khasra No.	Total Area (in Hec.)
1	Nirmand	Nirmand	Nirmand	Deem	3112 to 3579	468	67
				Bhiuntha			
				Sanarla			
				Sharkoti			
				Shagauli			
Total						468	67

The Governor of Himachal Pradesh, further in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 4 and sub-section (1) of section 80 of the Act ibid., is pleased to exempt the land and buildings of the said Nagar Panchayat from the payment of general tax for a period of three years from the commencement of this notification. The residents of said areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the records of rights.

By Order,
Rajneesh
Secretary (Urban Dev.) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. : As above. **Dated Shimla-2, the** **28.10.2020**

Copy is forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh for issuance of Notification under the H.P. Panchayati Raj Act, 1994, excluding these areas from the respective Gram Panchayats/Gram Sabha Area immediately.
2. The Addl.LR-cum-Addl. Secretary (Law-Legal) to the Govt. of Himachal Pradesh.
3. The Secretary, State Election Commission, H.P.
4. The Director, Urban Dev., HP, Palika Bhawan, Talland, Shimla-2
5. The Director, Panchayati Raj, H. P. Shimla-9 for similar action.
6. The Director, Census Operation, H.P., Shimla-5.
7. The Deputy Commissioner, Kullu, H.P.

Rathore 28.10.20
(Surjeet Singh Rathore)
Joint Secretary (Urban Dev.) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

संख्या यू0डी0–ए0(1)–2/2014 तारीख शिमला–02, 28.10.2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0–ए0(1)–2/2014 तारीख 25.08.2020 द्वारा अधिसूचित नगर पंचायत निरमण्ड, जिला कुल्लू की घोषणा के लिए प्रस्ताव को इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उपायुक्त, कुल्लू के माध्यम से छह सप्ताह की अवधि के भीतर आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27.08.2020 को प्रकाशित किया गया था;

और विहित समय–सीमा के भीतर नगर पंचायत निरमण्ड, जिला कुल्लू में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से प्राप्त हुए आक्षेप/सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तद्नुसार उन पर विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 4 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई "अनुसूची" में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार नगर पंचायत निरमण्ड, जिला कुल्लू का गठन करते हैं और यह राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में आएगी।

"अनुसूची"

क्रम संख्या	पटवार सर्कल	महाल	पंचायत	वार्ड का नाम	खसरा नम्बर	कुल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	निरमण्ड	निरमण्ड	निरमण्ड	डीम	3112 to 3579	468	67
				भियुंटा			
				सनारला			
				शरकोटी			
				शगौली			
कुल						468	67

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (7) और धारा 80 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नगर पंचायत की भूमि और भवनों पर इस अधिसूचना के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के लिए सामान्य कर के संदाय से भी छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासियों को अधिकार–अभिलेख के वाजीब–उल–अरज में यथा उपबंधित रूढ़िजन्य अधिकार मिलते रहेंगे।

आदेश द्वारा,

(रजनीश)
सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या यथोपरी तारीख शिमला–02, 28.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/सभा क्षेत्र से बाहर निकालने हेतु तुरन्त अधिसूचना जारी करने हेतु।
2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवम अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3. सचिव, राज्य निवार्चन आयोग, हिमाचल प्रदेश।
4. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक, जनगणना कार्य शिमला, हिमाचल प्रदेश।
7. उपायुक्त जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

(सुरजीत सिंह राठौर) 28.10.20
संयुक्त सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।